न्यायालय राजस्व मंडल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक...../2015

आवेदक :- श्रीमती तलविंदर कौर गुजराल
पत्नि श्री शंभूनाथ सोनकर
निवासी–चौथामील, मंडला रोड, जबलपुर

विरूद्ध

अनावेदक :- कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जबलपुर

आवेदन पत्र धारा 56 स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत

आवेदिका निम्नानुसार निवेदन करती है:–

1. यह कि आवेदिका के द्वारा दिनांक 24/05/03 को जबलपुर उपपंजीयक कार्यालय में उपपंजीयक के समक्ष विक्रेता शंभू शर्मा उर्फ श्यामदास चंसोरिया से सदर केन्ट सिविल एरिया याने बाजार क्षेत्र में स्थित मकान सर्वे नं.143/312 में से उनके हक हिस्से को उचित बाजार मूल्य चुकाकर तत्कालीन उपपंजीयक श्री ओम पाण्डे के समक्ष विक्रय पत्र का निष्पादन कराया गया, जिसका बाजार मूल्य आवेदक द्वारा विक्रेता को दिया गया, जिसका दस्तावेज रसीद क्र. 34439 दिनांक 24/03/2005 है, जिसका दस्तावेज एवं विक्रय पत्र की उपपंजीयक कार्यालय की **रसीद प्रदर्श–1** है।

2. यह कि आवेदिका द्वारा क्रय सम्पत्ति एवं सह स्वामित्वधारी के दस्तावेजों का पूर्णरूप से अवलोकन कर विक्रेता से उसके अंश को खरीद किया है, विक्रेता द्वारा विक्रयशुदा सम्पत्ति दिनांक 16/05/1968 को क्रय की थी और क्रय दिनांक से निरंतर मालिक की हैसियत से किराया लिया जा रहा था। चूंकि सम्पत्ति तीन भाईयों के नाम थी, जिनका नाम क्रमशः निम्नानुसार है– श्यामदास चंसोरिया, रामदास चंसोरिया और जगमोहनदास चंसोरिया, आवेदिका द्वारा श्यामदास चंसोरिया से उसका हक हिस्सा अविभाजित आवेदिका को विक्रय किया गया एवं विक्रेता द्वारा पूर्व में सन् 1968 में क्रय सम्पत्ति का बयनामा **प्रदर्श–2** है।

3. यह कि आवेदिका द्वारा दिनांक 24/03/2005 को सम्पत्ति क्रय करते वक्त संपूर्ण दस्तावेजों का स्वंय अवलोकन किया गया और क्रय दिनांक को किसी भी न्यायालय से न तो सम्पत्ति के विरूद्ध क्रय–विक्रय पर स्थगन था ना ही किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा क्रय–विक्रय पर रोक थी, आवेदिका स्वंय कानून की ज्ञाता है एवं आवेदिका क्रयशुदा स्थल पर काबिज है।

4. यह कि आवेदिका द्वारा दिनांक 24/03/2005 को तत्कालीन उपपंजीयक एवं साक्षियों के समक्ष बाजार मूल्य विक्रेता को भुगतान किया गया, जिसकी प्राप्ति एवं लिखित रूप से विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी कर उपपंजीयक कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

5. यह कि आवेदिका के द्वारा अपने दस्तावेज प्राप्ति हेतु तत्कालीन उपपंजीयक से निवेदन किया कि मेरे द्वारा क्रय सम्पत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित कर मुझे बताया जाये कि मुद्रांक शुल्क क्या लगना है, इस दौरान दिनांक 31/03/2005 को तत्कालीन उपपंजीयक द्वारा स्थल निरीक्षण टीप बनाई गई जो कि **प्रदर्श–3** है, जिसे आवेदिका देने को तैयार है।

क्रमशः..2

प्र.क्र 1317 ए/15 निगरानी

6-5-16	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। यह विविध आवेदन पत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। 2/ आवेदिका के अभिभाषक ने बताया है कि सदर केन्ट एरिया बाजार क्षेत्र में स्थित मकान स.नं. 143/312 आवेदिका ने विकेता शंभू शर्मा से कय किया है एंव कय मूल्य पर दस्तावेज कमांक 34439 दिनांक 24-3-2005 तैयार कराकर उप पंजीयक जबलपुर के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया। उप पंजीयक ने दस्तावेज पंजीयत न करते हुये कलेक्टर आफ स्टाम्प को मूल्य निर्धारण हेतु प्रस्तुत कर दिया , जिस पर से कलेक्टर आफ स्टाम्प ने प्रकरण नंबर 410-बी-121/ 2004-05 पंजीबद्ध कर लिया, किन्तु आवेदिका व्दारा दस्तावेज का बाजार मूल्य निर्धारण करने एंव मुद्रांक शुल्क जमा करने का आश्वासन देने के वाद भी कलेक्टर आफ स्टाम्प जबलपुर ने पकरण का निराकरण नहीं किया है इसलिये कलेक्टर आफ स्टाम्प जबलपुर को निर्देश दिये जॉय कि वह प्रकरण का निराकरण करते हुये दस्तावेज का पंजीयन करावें। 3/ आवेदिका के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अवलोकन पर स्थिति इस प्रकार है :-

धारा-56 (4) परन्तु यह और भी कि पुनरीक्षण का कोई आवेदन

(एक) - इस अधिनियम के अधीन अपीलीय किसी आदेश के विरूद्ध ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(दो) - तब तक ग्राहण नहीं किया जायगा तब तक कि वह आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो और पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में, उक्त आदेश की प्रति अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जायगा।

आवेदिका ने विविध आवेदन के पद 9 में बताया है कि-

" यह कि आवेदिका व्दारा दिनांक 30.4.15 को मौखिक निवेदन किया, जो भी बाजार मूल्य निर्धारण होगा एंव जो भी कमी मुद्रॉक शुल्क है, उसे आवेदिका देने को तैयार है, अतः आदेश प्रदान करें। "

4/ विविध आवेदन की ग्राह्यता पर विचार किया गया। आवेदिका ने 30.4.15 को मौखिक रूप से कलेक्टर आफ स्टाम्प जबलपुर से उक्तानुसार मोखिक आग्रह किया है किन्तु पुष्टिकरण में किसी प्रकार का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है एंव वह कलेक्टर आफ स्टाम्प के किस निर्णय के विरूद्ध विविध आवेदन प्रस्तुत कर रही है यह भी नहीं बताया है। कलेक्टर आफ स्टाम्प के यहां प्रकरण कमांक 410-बी-121/ वर्ष 2004-05 से प्रचलित है एंव आवेदिका ने कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण में हुये अंतरिम आदेश दिनांक 25-4-05 की प्रमाणित प्रतिलिपि विविध आवेदन के संलग्न की है जो 90 दिवस की समय सीमा के वाहर है। कलेक्टर आफ स्टाम्प की इसी आर्डर शीट में अंकित है कि विचाराधीन संपत्ति के सम्बन्ध में न्यायालय में प्रकरण चल रहा है अर्थात संपत्ति विवादित है और जब मामला न्यायालय में विवादित है एंव किस न्यायालय में मामला कहॉ लम्बित है आवेदिका ने विविध आवेदन में नहीं बताया है तथा उनके अभिभाषक ने तर्को के दौरान भी मामला न्यायालय में चलने का

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

श्रीमती तलबिन्दर कौर गुजराल पत्नि भूनाथ जबलपुर विरूद्व कलेक्टर आफ स्टाम्प जबलपुर

प्रकरण कमांक 1397-एक/2014 विविध जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्त
	तथ्य नहीं बताया है । माननीय न्यायालय से जो भी आदेश होंगे, राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी रहेंगे, जिसके कारण प्रस्तुत विविध आवेदन के माध्यम से कलेक्टर आफ स्टाम्प जबलपुर व्दारा प्रकरण नंबर 410-बी-121/ 2004-05 में की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप की गुॅंजायश नहीं है। 4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर विविध आवेदन प्रचलन-योग्य नहीं पाये जाने से इसी-स्तर पर अमान्य किया जाता है। सदस्य	